<u>न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर</u>

अपील संख्या – 13/25

GCMS NO 2025/15

1. मुरली मनोहर यादव अहिर
2. शंकर यादव अहिर
3. हरिनारायण यादव अहिर पुत्रान स्व0 मदन लाल यादव निवासीयान ईसरदा तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर

राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपीलांट

बनाम

1. श्योजी यादव अहिर
2. हेमराज यादव अहिर पुत्रान स्व0मदन लाल यादव निवासी ईसरदा तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर
3. राकेश पुत्र स्व0सत्यनारायण यादव अहिर निवासी ईसरदा तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर
4. सोनू पुत्री स्व0 सत्यनारायण यादव पत्नि मेघराज यादव बनस्थली निवाई जिला टोंक
5. दी स्टेट आफ राजस्थान जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 17/24 निर्णय दिनांक 20.12.24 न्यायालय उपजिला कलक्टर, चौथ का बरवाडा)

अभिभाषक अपीला0 श्री गिर्राज सिह गुर्जर

अभिभाषक रैस्पो0 श्री सुधीर कुमार जैन

दिनांक 05.05.2025

<u>निर्णय</u>

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्ध निर्णय दिनांक 20.12.24 न्यायालय उपजिला कलक्टर, चौथ का बरवाडा पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण/अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण एक ही परिवार के एक ही गांव के निवासी है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की पैतृक खातेदारी की भूमियां ग्राम ईसरदा तहसील चौथ का बरवाडा मे स्थित है। जो नया खाता संख्या 655 पुराना खाता संख्या 627 है। संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा न0 1545 रकबा 0.09 है0 गैर मुमकिन रास्ता, 1554 रकबा 0.91 है0, 1555 रकबा 0.25 है0, 1556 रकबा 0.03 है0, 1569 रकवा 0.06 है0, 1573 रकबा 1.21 है0, 2540 रकबा 1.11 है0, 2549 रकबा 0.05 है0, 2552 रकवा 0.59 है0, 2554 रकबा 0.47 है0, 2555 रकबा 0.33 है0, 2556 रकबा 0.25 है0, 2557 रकवा 0.01 है0, 2558 रकबा 0.04 है0, 2559 [illegible] है0, 2560 रकबा 0.64 है0, 2561 रकवा 0.51 है0, 715 रकबा 0.07 है0, 716 रक[illegible] 0.6[illegible] है0, 717 रकबा 2.22 है0, 720 रकबा 0.09 है0, 721 रकबा 1.55 है0 कु[illegible] 12.33 है0 है। उक्त भूमि मे प्रार्थीगण का 1/6 हिस्सा एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 का 1/6 हिस्सा एवं अ[illegible] संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:48:53 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

3 लगायत 4 का सत्यनारायण की मृत्यु के उपरान्त 1/12–1/12 हिस्सा है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की उक्त भूमि के खसरा न0 2554,2555,2556,2552,2549 रोड साईड पर स्थित है। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के पिता खातेदार सत्यनारायण की मौजूदगी मे उक्त संयुक्त आराजीयात का बाहमी बंटवारा हुआ कि उक्त भूमि का विभाजन रोड साईड की लम्बी की लम्बी भूमि की पटटी पूर्व पश्चिम लंबाई मे 1/6 हिस्से यानि 2.055 है0 के हिस्से बनाकर प्रत्येक प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की अपने अपने हिस्से की भूमि का हिस्सा देकर हमेशा हमेशा के लिए विवाद खत्म कर देगे। आये दिन इस भूमि बाबत व इसके रास्ते को लेकर अपने भाईयो मे विवाद होता रहता है जिसके लिए यह बंटवारा किया गया है। प्रार्थी न0 1 परिवार का कर्ता है, ने कहा कि आपस मे भाईयो मे लिखित मे क्या बंटवारा करेगे कि क्या लिखापढी करनी है। इस पर ग्राम मे रामफूल यादव पुत्र लक्ष्मीनारायण यादव व घासीलाल पुत्र गोपाललाल गुर्जर व गांव के अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियो भी मौजूद थे। जिनके सामने अप्रार्थीगण ने भी सहमति दी कि अगर यह कह रहे है तो इनकी बात पर यकीन करेगे। इस कारण से यह बंटवारानामा की लिखापढी नही हो सकी। खातेदार सत्यनारायण जो कि हमारा सगा भाई था जिनका देहान्त हो जाने से उनकी मृत्यु के उपरान्त उसके नाम का नामा0 अभी तक उसके वारिसान अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के नाम नही खुला है। मृतक सत्यनारायण की मृत्यु के पश्चात सत्यनारायण के वारिसान एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के मन मे बदनियती आ गई और मृतक सत्यनारायण द्वारा किये गये बहामी बंटवारे को मानने से स्पष्ट इंकार कर दिया तथा कहा कि हम तो हमारी 1/6 भूमि रोड साईड पर ही लेगे एवं रास्ता भी नही देगे तुम्हारी मर्जी हो जो करो। अप्रार्थी श्योजी व हेमराज ने साफ इंकार कर दिया कि हम मौखिक बंटवारे को नही मानेगे। भूमि की पूर्व से पश्चिम पटटी नही करेगे और जमीन रोड साईड पर ही लेगे। अप्रार्थीगण रोड साईड की भूमि पर कब्जा करने पर आमादा है। जो नियम विरूद्व है। उक्त वर्णित भूमि का नक्शा ट्रेस मे भी रोड साईड की भूमियां स्थित है। जिन पर प्रत्येक ख0न0 पर प्रत्येक खातेदार का नियमानुंसार कब्जा है। जिसको अप्रार्थीगण जबरन हटाना चाहते है एवं काश्त करने से रोकते है तथा आवागमन से वंचित करते है। जिसका अप्रार्थीगण को कोई वैधानिक अधिकार नही है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि उक्त वर्णित विवादित आराजीयात मे किसी प्रकार की बाधा न तो स्वयं करे ना ही अन्य किसी से करावे तथा मौके पर राजस्व रिकार्ड व प्रार्थीगण के कब्जे काश्त मे बाधा उत्पन्न नही करे। इस प्रकार की इस्तदुआ प्रार्थीगण/अपीलांटगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय से चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण/अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने से व्यथित होकर अपीलांटगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून रूयदाद मिसल होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रावधानो का सही प्रकार से अवलोकन नही किया है एवं गलत

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.06.10 13:48:53 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

प्रकार से निर्णय पारित किया है। जो खारिज योग्य है। विवादित आराजीयात नया खाता संख्या 655 पुराना खाता संख्या 627 है जो संयुक्त खातेदारी की आराजीयात है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर गौर नही किया कि प्रार्थीगण अपीलांट संयुक्त खातेदार है एवं मौके पर प्रत्येक ख0न0 पर नाम इन्द्राज है। अप्रार्थी/रेस्पो0 ने अगर अपने हिस्से को बेच दिया तो मौके पर झगडा होने की पूरी संभावना है एवं अपीलांट को अपूर्णनीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है। इसी प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर गौर नही किया कि मौके पर मौखिक बंटवारा रेस्पो0 के पिता सत्यनारायण ने कर दिया था एवं शांतिपूर्वक काश्त करते चले आ रहे है। मौके पर सडक के किनारे से पूर्व से पश्चिम लम्बाई की तरह बंटवारा हो रहा है। मौके पर टीनपोस मकान बना हुआ है फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज करने मे कानूनी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 20.12.24 को अपास्त फरमाया जाकर रेस्पो0 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि अपीलांट एवं रेस्पो0 की समस्त आराजीयात मे पूर्व से पश्चिम हिस्से मे किसी प्रकार के कब्जा काश्त मे बाधा पैदा नही करे तथा ना ही किसी को रहन बय करे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस कथन किया कि विवादित आराजीयात मे अपीलांट /प्रार्थी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 2 का 1/6 हिस्सा एवं प्रार्थी संख्या 3 का भी 1/6 हिस्सा है। रेस्पो/अप्रार्थी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा एवं रेस्पो0/अप्रार्थी संख्या 2 का1/6 हिस्सा राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे दर्ज है। सत्यनारायण की मृत्यु हो जाने के बाद उसकी विरासत का नामा0 नही खुलने से सत्यनारायण का 1/6 हिस्सा जमाबंदी मे दर्ज है। सत्यनारायण की मृत्यु हो जाने के पश्चात से रेस्पो/अप्रार्थी संख्या 3 अपने 1/6 हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। भूमि खसरा न0 1545 रकबा 0.0900 है0 व ख0न0 1556 रकबा 0.0300 है0 गैर मुमकिन रास्ता है। जिसमे से होकर खेतो पर आते जाते है। बंटवारा 30 वर्ष पूर्व ही सभी खसरा नम्बरान का हो गया था। खसरा न0 2554,2555, 2556,2552 व 2549 बंटवारे मे रेस्पो/अप्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या 2 को पश्चिम हिस्सा दिया गया। जिस पर अप्रार्थी श्योजी व हेमराज से तार फेंसिग करवा रखी है। श्योजी ने अपने हिस्से मे टीनशेड बनवा रखा है। हेमराज के हिस्से के बाद पूर्वी दिशा मे शंकर का हिस्सा है। जिसमे उसने पक्का मकान बना रखा है। खसरा न0 2557 मे कुआ है जिस पर जाने का रास्ता उत्तर से दक्षिण बना है। यह रास्ते की जमीन रेस्पो/अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने अपने की जमीन मे से दी है। प्रार्थी/अपीलांट शंकर के बाद पूर्व मे प्रार्थी/अपीलांट मुरली मनोहर का हिस्सा तथा इससे लगता हुआ प्रार्थी/अपीलांट हरिनारायण का हिस्सा है। इस प्रकार प्रार्थीगण/अपीलांट का यह कथन मिथ्या है कि रोड साईड से लम्बी की लम्बी भूमि की पटटी पूर्व से पश्चिम लम्बाई मे हिस्से बनाकर बताई है। प्रार्थीगण/अपीलांट 1,3 व रेस्पो/अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के पूर्व मे सोलपुर गां[illegible] जाने वाला [illegible] रास्ता है अब नवीन रास्ता पश्चिम दिशा से बना है। इसलिए अपीलांट 30 वर्ष पूर्व [illegible] बंटवारे से मुकर रहे है और नवीन कहानी बनाकर दावा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा [illegible] गया है। रेस्पो0 की नवीन रोड साईड की जमीन बंटवारे मे आई है जिस पर 30 [illegible] अधिक अवधि से काबिज होकर काश्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:48:53 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

कर रहे है एवं तार फेंसिग कर पक्का घर बनाया है। रेस्पो0 द्वारा अपीलांट की जमीन को काश्त करने से नही रोका है बल्कि अपीलांटगण द्वारा हम रेस्पो0 की आराजीयात मे काश्त करने मे बाधा उत्पन्न की जाती है। रास्ता खुलासा है रास्ता किसी भी प्रकार से अवरूद्व नही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के सिद्वान्त अनुसार ही प्रार्थना पत्र के तीनो बिन्दुओ प्राईमाफेसी केस,सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति का विवेचन करने के पश्चात ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। जिसमे अपीलांट को किसी प्रकार की कोई अपूर्णनीय क्षति नही होना माना है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि के प्रावधानो के तहत ही पारित किया गया है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही होने से अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं अपील पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि विवादित आराजीयात के अपीलांट एवं रेस्पो0 सहखातेदार है। जो राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे दर्ज है। दोनो पक्षो द्वारा विवादित आराजीयात का बाहमी बंटवारा 30 वर्ष पूर्व होना स्वीकृत किया है। परन्तु विवाद खसरा न0 2554,2555,2556,2552 व 2549 जो रोड साईड पर स्थित है। उस पर है। जिसका विभाजन तत्समय रोड साईड से पश्चिमी लम्बाई मे 1/6 हिस्से का होना बताया गया है। अपीलांट/प्रार्थी द्वारा वर्तमान मे उक्त बंटवारे अनुसार रेस्पो0 द्वारा बाधा उत्पन्न करने के कारण अस्थाई निषेधाज्ञा की मांग की गई थी। बाहमी बंटवारे के आधार पर भूमि का कौनसा हिस्सा अपीलांट का है एवं कौनसा हिस्सा रेस्पो0 का है। यह वाद पत्र मे साक्ष्य सबूतो के पश्चात ही तय किया जावेगा। विवादित आराजीयात के बाबत बंटवारे का वाद अधिनस्थ न्यायालय मे विचाराधीन है। चूकि उभयपक्ष विवादित आराजीयात के संयुक्त खातेदार है। पक्षकारो के मध्य वाद वाहुलता नही बढे इसलिए उभयपक्ष को ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतःअपील अपीलांट आंशिक स्वीकार योग्य होने से आंशिक स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा के मुकदमा न0 17/24 मे पारित निर्णय दिनांक 20.12.24 को अपास्त किया जाता है। उभयपक्षकारान को ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजीयात मे पक्षकारान एक दुसरे के कब्जे काश्त मे बाधा उत्पन्न नही करे तथा आराजीयात को रहन बय नही करे। मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति ताफैसला दावा बनाये रखी जावे।

निर्णय आज दिनांक 05.05.2025 को लिखाया जाकर इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:48:53 IST (लक्ष्मी कांत बालोत)
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर